छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा अष्ठम सत्र अंक-07

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2016

(आषाढ़ 28, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 38 तारांकित एवं 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट),

(2) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016,

(3) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 67/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016,

दिनांक 4 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015, तथा

(4) श्रीमती रमशिला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्तजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 **पटल पर रखे।**

3. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - मैंने कल भी मेरी व्यवस्था में उल्लेख किया था कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये सबसे प्रमुख शर्त यह है कि वह प्रथम अवसर पर दिया जाना चाहिये, यदि स्थगन प्रस्ताव विलंब से दिया जाता है तो वह ग्राह्यता की कसौटी पर नहीं ठहर पाता।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना का विषय हाल का नहीं है, विषय स्थगन के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं है।

मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

(निरंतर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.07 बजे स्थगित की जाकर 12.14 बजे पुनः समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, दिलीप लहरिया, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, कवासी लखमा, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

(सदन की कार्यवाही 12.23 बजे स्थगित की जाकर 12.28 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

6.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति

सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री अरूण वोरा (अनुपस्थित)

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र भाटापारा में शिक्षकों की कमी होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री उमेश पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले में सप्तऋषि इंफ्राटेक कंपनी द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़प लिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने रायपुर एवं महासमुंद जिलों में बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लाफचंद बाफना, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

5. सर्वश्री भूपेश बघेल, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू
6. श्री देवजी भाई पटेल
7. डॉ0 विमल चोपड़ा, सर्वश्री अरूण वोरा, भोलाराम साहू
8. श्री पारसनाथ राजवाड़े
9. श्री देवजी भाई पटेल
10. श्री केशव चंद्रा
11. सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, अमरजीत भगत
12. श्री देवजी भाई पटेल

13. डॉ0 प्रीतम राम
14. श्री संतराम नेताम
15. सर्वश्री भूपेश बघेल, टी0एस0 सिंहदेव
16. सर्वश्री देवजी भाई पटेल, गिरवर जंघेल, अरूण वोरा
17. श्री सत्यनारायण शर्मा
18. सर्वश्री भोलाराम साहू, गिरवर जंघेल
19. श्री सत्यनारायण शर्मा
20. सर्वश्री अरूण वोरा, दीपक बैज, संतराम नेताम
21. श्री पारसनाथ राजवाड़े, डॉ0 प्रीतम राम
22. श्री गुरुमुख सिंह होरा
23. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
24. श्री सत्यनारायण शर्मा
25. श्री बघेल लखेश्वर

8. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर उन्होंने सदन में 13 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) श्री मोतीलाल देवांगन
(3) श्री दलेश्वर साहू
(4) श्री नवीन मारकण्डेय
(5) श्री बघेल लखेश्वर
(6) श्री श्यामलाल कंवर
(7) डॉ. प्रीतम राम
(8) श्री संतराम नेताम
(9) श्री देवजी भाई पटेल
(10) श्री केशव चंद्रा
(11) श्री शंकर ध्रुवा
(12) श्री दीपक बैज
(13) श्री जनकराम वर्मा

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन, तथा

(2) श्रीमती सरोजनी बंजारे, सभापति ने महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिका की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार श्री जनकराम वर्मा, सदस्य की याचिका पढ़ी हुई मानी गई।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, देवजी भाई पटेल, मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा (जारी)

1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, श्री संतोष उपाध्याय।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, देवजी भाई पटेल, संतराम नेताम।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण करने हेत राज्य सरकार द्वारा अव्यवहारिक निर्देश जारी किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य एवं अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, केशव चंद्रा, कवासी लखमा, भूपेश बघेल, डॉ. विमल चोपड़ा।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

13. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कल सभा में प्रदेश में बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा की राशि वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर, विषय पर ध्यानाकर्षण की चर्चा के दौरान वाद-विवाद में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के बीच अवांछित वार्तालाप और टीका-टिप्पणियां हुईं तथा आसंदी द्वारा इन्हें विलोपित कर दिया गया था।

तत्समय आसंदी ने यह भी कहा था कि पूरी कार्यवाही को देखकर सदन में व्यवस्था देंगे।

मैंने सम्पूर्ण कार्यवाही को देखा व कार्यवाही में से शेष विलोपन योग्य अंशों को दिनांक 18 जुलाई को ही विलोपित कर दिया है।

15. मंत्री का वक्तव्य

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने दिनांक 11 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 256) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

16. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री रोशनलाल अग्रवाल, डॉ. सनम जांगड़े, नवीन मारकण्डेय एवं अन्य सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के विरूद्ध सभा की कार्यवाही को विकृत रूप में प्रचारित-प्रसारित करने को आधार बनाकर प्रस्तुत सभा की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 19 जुलाई, 2016 उनके समक्ष विचाराधीन है।

17. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा के अष्टम सत्र का आज अंतिम दिवस है। दिनांक 11 जुलाई से 19 जुलाई तक के इस नौ दिवसीय मानसून सत्र जिसमें 7 बैठकें हुईं, के समापन अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिये सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापतिगण एवं आप सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, कि आप सभी ने सभा के संचालन में मुझे अपेक्षित सहयोग प्रदान किया एवं आप सभी के सहयोग से सभा का यह सत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है।

इस मानसून सत्र में हमारे लिये यह भी हर्ष का विषय है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मानसून में व्यापक वर्षा हो रही है, ईश्वर से कामना है कि हमारे प्रदेश में व्यापक वर्षा हो और हमारे किसान सुखी और समृध्द हो। किसानों के हित पर केन्द्रित विभिन्न विषयों पर प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और चर्चा के विभिन्न माध्यमों से सदन में इस सत्र में आप सभी ने पूरी गंभीरता से विचार-विमर्श किया है। इस सत्र में नियम 139 के तहत अविलंबनीय लोकमहत्व के विषयों - प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे से संबंधित एवं प्रदेश में खाद बीज की कमी एवं नकली खाद की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति तथा प्रदेश में शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। ये चर्चा इस बात का प्रमाण है कि यह सदन प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसान, आदिवासियों एवं आमजन के प्रति सजग एवं गंभीर है ।

यह मानसून सत्र कई मायनों में भी महत्वपूर्ण रहा है । सत्र के सभी कार्य दिवसों में सदन के संचालन में गतिरोध की न्यूनता आपके उच्च संसदीय संस्कार और लोककल्याण के प्रति आपकी प्रतिबध्दता को परिभाषित करती है। आपके इस व्यवहार से इस संसदीय सदन की गरिमा संवर्धित हुई है और अपेक्षा करता हूं कि संसदीय संस्कारों के उन्नयन के प्रति आप ऐसे ही सतत् रूप से अग्रसर होंगे।

संसदीय प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि जनआकांक्षा का प्रतिबिम्ब होता है। जनप्रतिनिधि से आमजनों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को महत्वाक्रम अनुसार पूर्ण करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का प्रथम दायित्व होता है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि चतुर्थ विधानसभा के आप माननीय सदस्यगण निरंतर निपुणता की ओर अग्रसर है। सदन में होने वाली लोक-कल्याण और लोक-महत्व की प्रत्येक चर्चा में आपकी उपस्थिति और सहभागिता प्रशंसनीय है।

इस मानसून सत्र में शुक्रवार, 15 जुलाई 2016 को आप माननीय सदस्यों के लिये स्वास्थ्य परामर्श का महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेशनल फांउडेशन ऑफ इंडिया एवं मायाराम सुरजन

फांउडेशन के सौजन्य से आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम सभी माननीय सदस्यों के लिये प्रेरक और ज्ञानवर्धक रहा। सत्र अवधि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की हमारी परंपरा रही है। इसी तारतम्य में सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पद्मश्री श्री शेखर सेन ने एकल पात्र नाटक कबीर का जीवंत मंचन किया और आप सभी ने इस प्रेरक प्रस्तुति का आनंद लिया।

लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था के प्रति आमजनों को जोड़ने के उद्देश्य से विधान सभा और प्रदेश सरकार का समन्वित प्रयास निरंतर रूप से जारी है। यह उल्लेखनीय है कि इस सत्र में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत के लगभग 3054 जनप्रतिनिधियों ने अपने भ्रमण के दौरान विधानसभा का भ्रमण किया। इसके साथ ही प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्रा, निजी संगठन समूहो, के लगभग 2109 सदस्यों ने विधानसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं विधानसभा का भ्रमण किया तथा लगभग 7000 नागरिकों ने विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया। इसके साथ ही 5000 विजिटर्स ने विधान सभा की वेबसाईट का अवलोकन किया तथा विधान सभा पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा द्वारा माननीय सदस्यों को विभिन्न विषयों पर 89 संदर्भ सामग्री उपलब्ध करायी गयी ।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित हुये संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा । इस सत्र में कुल 7 बैठकों में लगभग 39 घण्टे 42 मिनट चर्चा हुई। इन बैठकों में 62 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 9 प्रश्नों का रहा । इस सत्र में 670 तारांकित प्रश्न एवं 529 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1199 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 308 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 85 सूचनाएं ग्राह्य हुईं तथा 16 शून्यकाल में परिवर्तित हुई । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की ग्यारह विषयों से संबंधित कुल 191 सूचनाएं प्राप्त हुई, इनमें से एक विषय से संबंधित 37 सूचनायें सभा में वक्तव्य लेने के पश्चात् अग्राह्य की गई तथा दस विषयों से संबंधित 154 सूचनायें कक्ष में अग्राह्य की गई । शून्यकाल की 86 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 35 सूचनाएं ग्राह्य और 51 सूचनाएं अग्राह्य रहीं।

माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 5 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 2 संकल्प चर्चा हेतु ग्राह्य हुये तथा एक संकल्प सदन में चर्चा उपरांत अस्वीकृत हुआ तथा एक संकल्प वापस हुआ । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 5 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये ।

मैं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार

माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश वासियों को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने गुरूत्तर दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

इस अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परंपरा रही है, तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में सम्भावित है। हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद !

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ !

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

18. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

रात्रि 7.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा